

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिक लाल अग्रवाल) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य द्वारा यांगी गई जानकारी विभिन्न संसदसदस्यों/विभागों से एकत्रित की जा रही है व उपलब्ध होने पर सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

“साउथ वेनल” (नमक समिति) का गठन

207. श्री जर्जोसहू महर्षि क्लेन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ सीराष्ट्र साउथ मैन्यूरैन्चरर्स एसोसिएशन, जामनगर ने 5 अगस्त, 1978 को “साउथ वेनल” (नमक समिति) के बारे में एक पत्र लिखा था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका म्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त संघ को साउथ वेनल में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और उसे कब तथा कैसे शामिल किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आशा भाईति) : (क) जी हाँ।

(ख) कच्छ सीराष्ट्र साउथ मैन्यूरैन्चरर्स एसोसिएशन, जामनगर ने इस आन्दोलन पर अपने एक सदस्य की नमक आब समिति में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है कि कच्छ कच्छ और सीराष्ट्र तुलना उद्योग के प्रमुख नमक उत्पादक केन्द्र हैं और देश के नमक उत्पादन में इनका 60 प्रतिशत भाग होता है तथा इस समिति का प्रतिनिधि नमक उद्योग से संबंधित तथ्यों व इसके सम्बन्धित समस्याओं की समिति के ध्यान में ला सकेगा।

(ग) सरकार ने समिति को छोटा बनाए रखने का निर्णय किया है और उसने इस समिति में वार्षिक नमक उत्पादन करने वाले व उपजीव करने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा नमक उद्योग के कुछ चुने हुए विशेषज्ञों को ही रखा है। कच्छ उद्योग सरकार के प्रतिनिधि को पहले ही समिति में रख लिया गया है। समिति में साउथ मैन्यूरैन्चरर्स एसोसिएशन वसित नमक उद्योग से संबंध रखने वाले सभी लोगों को नमक उद्योग के नमक उपलब्ध समस्याओं के बारे में एक विस्तृत प्रस्तावनी जारी कर दी है तथा समिति अपनी सिफारिशों की अंतिम रूप देने से पहले उनके विचारों की ध्यान में रखेगी।

Pension to Freedom Fighters

208. SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of India have made it a principle that irrespective of any eligible freedom-fighters getting any amount of political sufferers' pension from any State, the Government of India will give a minimum of Rs. 200/- P.M. to every freedom-fighter as pension;

(b) if so, whether for this purpose the freedom-fighter pension-holder will make further and fresh application to the Government of India for giving him the full minimum amount of Rs. 200/- P.M. in such cases where the pension-holder gets his pension from Government of India less than Rs. 200/- P.M. after deduction of the amount that the freedom fighter gets from the State Government; and

(c) if so, in what form and to which Government i.e. either to State Government or to Central Government or to both the Governments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL):

(a) Yes, Sir. In the case of freedom fighters who are getting Central pension, the amount has been enhanced to Rs. 200/- P.M. w.e.f. 1-10-76.

(b) and (c). Yes, Sir. He will have to make a formal request to the Government of India. No form is prescribed for this purpose.

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक

209. श्री राज कौर सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक कब होने की संभावना है और उसकी प्रस्तावी कार्य सूची क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कलशुर एलुवाल) : राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अगली और केन्द्र के बीच वित्तीय प्रबंधों की समीक्षा